उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – 02/2018

कैलाश मांझी वगै0 बनाम ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
27/07/2018	– :: **आदेश** :: – अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत आवेदक कैलाश मांझी पिता बढ़न मांझी वो सुरज लाल मांझी पिता झोपड़ा मांझी दोना का निवास ग्राम– केरीबंदा, पो0–हेसागढ़ा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे **मौजा केरीबन्दा, थाना नं0–124, थाना–माण्डू, खाता नं0–04, प्लॉट नं0–47, कुल जमा रकबा 4.23 एकड़ मध्य रकबा 0.50 एकड़ (पचास डीसमील)** भूमि को पट्टे में देनें की अनुमति दायर आवेदन पर वाद की कार्रवई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए, अंचल कार्यालय, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक 616 दिनांक 04.06.2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा अनुमति हेतु दायर आवेदन की प्रति कार्यालय पत्रांक 404/विधि दिनांक 27.06.2018, स्मारित पत्रांक 461/विधि दिनांक 11.07.2018 द्वारा अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजते हुए विधिवत् पुनः जाँच कर प्रतिवेदन की मांग की गई। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के पत्रांक 1264/रा0 दिनांक 23.07.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में ठाकुर मांझी वगै0 के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0–2/II में ठाकुर मांझी के नाम से दर्ज है। आवेदक कैलाश मांझी एवं सुखलाल मांझी खाता नं0–04, प्लॉट सं0–47, कुल रकवा– **4.23 एकड़ मध्ये रकवा– 0.50 डीसमील जमीन** ओ0एन0जी0सी0 को पट्टा पर देना चाहते है। उक्त जमीन पर कैलाश मांझी वगै0 का शान्तिपूर्ण दखल है। सम्पूर्ण खाते की जमीन इजमाल है तथा उपर्युक्त जमीन पट्टा पर देने के बाद भी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेंगे। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में ठाकुर मांझी वगै0 के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0–2/II में ठाकुर मांझी के नाम से दर्ज है और खतियानी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बंटवारा विधिवत नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित विविधत् कोई कागजात प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक कैलाश मांझी एवं सुखलाल मांझी द्वारा सिर्फ कुल रकबा– **0.50 डीसमिल** भूमि ओ0एन0जी0सी0 को पट्टा पर देना चाहते है, जबकि प्रतिवेदन में उल्लेखित सुखलाल मांझी संबंधित वाद में आवेदक नहीं है। संबंधित वाद में आवेदक कैलाश मांझी एवं सुरज लाल मांझी द्वारा ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु मौजा केरीबन्दा, थाना–माण्डू, थाना नं0–124 खाता सं0–4, प्लॉट सं0–47, **कुल जमा रकवा– 4.23 एकड़ मध्ये रकवा– 0.50 एकड़** भूमि को पट्टे में देनें की अनुमति हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर किया गया है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु दायर आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित **उपायुक्त,** रामगढ़। **उपायुक्त,** रामगढ़।	